तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज गोविन्दकरण राठौड़ बनाम लो.सू.अ.(उपखण्ड अधिकारी लूणी) सू.अ.अ. अपील संख्या 245 / 2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.01.21	अपीलार्थी गोविन्दकरण राठौड़ पुत्र धनकरण राठौड़ जाति राजपूत निवासी 79, हनुवंत बी, सेक्टर बी, बी.जे.एस. कॉलानी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 23.10..20 में उसके द्वारा (1) न्यायालय आदेश दिनांक 11.06.2020 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी के राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं0 252 / 19 निर्णय दिनांक 11.06.2020 व दूसरा प्रा.सं, 243 / 19 निर्णय दिनांक 11.06.2020 उपरोक्त प्रार्थना पत्र, जबाब, रिपोर्टो व निर्णयों, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा द्वारा जरिये दिनांक 26.10.20 को भ्रामक सूचना दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ..(उपखण्ड अधिकारी लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित सूचना अपीलार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	